भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1147

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईएसआई सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

1147. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में योग्य और अनुभवी चिकित्सकों की सेवा सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) मॉडल एंड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, आश्रमम्, कोल्लम में सुपर स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी विभागों में स्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में संविदा आधार पर नियुक्त सुपर स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी डाक्टरों के वेतन में वृद्धि करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मॉडल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, आश्रमम्, कोल्लम में सुपर स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी विभागों में चिकित्सकों की रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए निर्धारित दर में संशोधन करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) ईएसआई, आश्रमम् मॉडल एंड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल विकसित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): स्पेशियलिस्ट / सुपर स्पेशियलिस्ट सहित ईएसआईसी अस्पतालों में चिकित्सकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। ईएसआईसी ने हाल ही में ईएसआईसी मॉडल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल आश्रमम्, कोल्लम में आईएमओ ग्रेड II के पदों के लिए 14 अभ्यर्थियों सहित विभिन्न ईएसआईसी अस्पतालों में तैनाती के लिए बीमा चिकित्सा अधिकारी (आईएमओ) ग्रेड II, विशेषज्ञ ग्रेड II (वरिष्ठ स्केल/कनिष्ठ स्केल) और शिक्षण संकाय के पदों के लिए चुने गए 1323 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया है।

जारी..2/-

स्पेशियलिस्ट / सुपर स्पेशियलिस्ट सहित संविदा चिकित्सकों के लिए पारिश्रमिक का संशोधन भी एक निरंतर प्रक्रिया है। पारिश्रमिक में पिछला संशोधन वर्ष 2022 में कार्यान्वित किया गया था।

(ङ): ईएसआईसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) द्वारा प्रकाशित संशोधित दर-सूची को अपनाता है।

(च): आश्रमम् में ईएसआई सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की मंजिलों के वर्टिकल विस्तार का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

*****